



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-27] रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 जुलाई, 2026 ई0 (आषाढ़ 13, 1948 शक सम्वत्) [संख्या-27

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	391—396	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	161—170	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	305—321	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-2

अधिसूचना

नियुक्ति

15 जून, 2026 ई0

संख्या-192/26-XIX-2/61 खाद्य/2013/ई. 57264-उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग एवं जिला शिकायत निवारण (संशोधन) नियमावली, 2023 के नियम 4(3)(ख) तथा नियम 5(4)(क) के अधीन श्री दीपक गुलाटी, पुत्र स्व0 श्री एफ0सी0 गुलाटी, निवासी ए-49, निकट गुरुद्वारा, आदर्श कॉलोनी, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर को उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग, देहरादून में सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले घटित हो, की अवधि तक के लिये नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 - श्री दीपक गुलाटी को इस अवधि में शासन की अधिसूचना संख्या 546/23-XIX-2/61 खाद्य/2013 दिनांक 25.08.2023 के द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग एवं जिला शिकायत निवारण (संशोधन) नियमावली, 2023 में उल्लिखित प्रावधानानुसार सदस्य का वेतन एवं देय भत्ते अनुमन्य होंगे।

3 - श्री दीपक गुलाटी उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग के सदस्य पद हेतु अपने अनुभव एवं शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष उपलब्ध कराये जाने के साथ ही कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उत्तराखण्ड शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

एल0 फैनई,
प्रमुख सचिव।

न्याय अनुभाग-1

अधिसूचना

नियुक्ति

24 जून, 2026 ई0

संख्या-22 नो-एल/XXXVI-A-1/2026-13 नो-एल/2010-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री ज्योति प्रकाश, अधिवक्ता को दिनांक 24-06-2026 से अग्रेतर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय नैनीताल में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री ज्योति प्रकाश का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 22 No-L/XXXVI-A-1/2026-13 No-L/2010, Dated-June 24, 2026

NOTIFICATION

Appointment

June 24, 2026

No. 22 No-L/XXXVI-A-1/2026-13 No-L/2010--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mr. Jyoti Prakash, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 24-06-2026 for **District Headquarter Nainital** and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mr. Jyoti Prakash** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना

नियुक्ति

25 जून, 2026 ई०

संख्या-12 नो-ई/XXXVI-A-1/2026-11 नो-ई/2010-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्रीमती शशीकला शर्मा, अधिवक्ता को दिनांक 25-06-2026 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला टिहरी गढ़वाल की तहसील कीर्तिनगर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्रीमती शशीकला शर्मा का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

अमित कुमार सिरोही,

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 12 No-E/XXXVI-A-1/2026-11 No-E/2010, Dated-June 25, 2026

NOTIFICATION

Appointment

June 25, 2026

No. 12 No-E/XXXVI-A-1/2026-11 No-E/2010--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mrs. Shashikala Sharma, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 25-06-2026 for **Tehsil Kirtinagar, District Tehri Garhwal** and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mrs. Shashikala Sharma** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

AMIT KUMAR SIROHI,

Principal Secretary, Law-cum-L.R.

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

23 जून, 2026 ई0

संख्या-539/XLII-1/2026/06(06)2018/E-94168-उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय, (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2006 में दी गयी व्यवस्थानुसार विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर श्री संदीप प्रसाद, सहायक कुलसचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार, वेतनमान रू0 35400-112400 (ग्रेड वेतन-4200) लेवल-6 को उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में उपलब्ध रिक्त उप कुलसचिव वेतनमान रू0 56100-177500 (ग्रेड वेतन-5400) लेवल-10 के पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री संदीप कुमार को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

आज्ञा से,

दीपक कुमार,
सचिव।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2

कार्यालय ज्ञाप/पदोन्नति आदेश

23 जून, 2026 ई0

संख्या-407523/XXIV-2/2026/29(12)2011 (ई-103196)-विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा में खण्ड शिक्षा अधिकारी (वेतनमान-रू0 67700-208700 वेतन मैट्रिक्स का लेवल-11) के पद पर कार्यरत अधिकारियों की चयन वर्ष 2025-26 में उप शिक्षा निदेशक/समकक्ष रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति किए जाने के सम्बन्ध में विभागीय पदोन्नति चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नवत् तालिका में अंकित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को उप शिक्षा निदेशक/समकक्ष पद (वेतनमान-रू0 78800-209200 वेतन मैट्रिक्स का लेवल-12) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किए जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम
1	2
01	श्री चक्षुष्पति अवस्थी
02	डॉ0 सुरेन्द्र सिंह नेगी
03	श्रीमती पूनम चौहान
04	श्री विनोद सिंह मट्टूडा
05	श्री पंकज कुमार उप्रेती
06	श्री अभिषेक शुक्ला
07	कु0 सोनी महारा

02- उपरोक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान तैनाती स्थल के जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक मुख्य शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

03- उपरोक्त पदोन्नत अधिकारियों का पदोन्नत पद के सापेक्ष वेतन विभाग में उप शिक्षा निदेशक/समकक्ष पद के सृजित पदों के सापेक्ष आहरित किया जायेगा।

04- उपरोक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

आज्ञा से,

रविनाथ रामन,
सचिव।

वित्त अनुभाग-8

अधिसूचना

29 जून, 2026 ई0

संख्या-738/141(120)/2008/XXVII(8)/2026-चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित धारा 72 और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से उक्त अधिनियम की अनुसूची III में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्-

संशोधन

(i) अनुसूची III में, क्रम संख्या-1 के खण्ड (क) तथा (ख) पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात् -

क्र0सं0	माल का वर्णन	कर का बिंदु	कर की दर
1	(क) सभी प्रकार की स्प्रिट और स्प्रिटमय शराब, जिसमें मिथाइल अल्कोहल और संयुक्त प्रांत मोटर स्प्रिट, डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रय कराधान अधिनियम, 1939 के अधीन यथा परिभाषित अल्कोहल सम्मिलित है किन्तु देशी शराब, उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित फलों से विनिर्मित वाइन (wine) और समुद्रपार आयातित मदिरा सम्मिलित नहीं है।	नि० या आ०	6 %
	(ख) देशी शराब	नि० या आ०	6 %

(ii) अनुसूची III में, क्रम संख्या 1 के खण्ड (ग) पर विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अतःस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात् -

माल का वर्णन	कर का बिंदु	कर की दर
(घ) समुद्रपार आयातित मदिरा	नि० या आ०	12 %

आज्ञा से,
अनिल सिंह,
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 738/141(120)/2008/XXVII(8)/2026 E-50269 Dated- June 29, 2026 for General Information.

June 29, 2026

No. 738/141(120)/2008/XXVII(8)/2026 E-50269--WHEREAS. the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no- 27 of 2005) (hereinafter referred to as the said Act) read with section 72 and section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U-P- Act No-1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from 01st April, 2026, the following amendment in Schedule-II of the said Act; namely.

Amendment

(i) In Schedule- II, for the existing entry at clause (a) and (b) of serial No- I, the following entry shall be substituted; namely.

Sl. No.	Description of Goods	Point of Tax	Rate of Tax
I	(a) Spirits and spirituous liquors of all kinds including Methyl Alcohol, Alcohol as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel oil and Alcohol Taxation Act, 1939 but excluding Country liquors, wine, manufactured from fruits produced in Uttarakhand State and overseas imported liquors	M or I	6 %
	(b) Country liquors	M or I	6 %

(ii) In Schedule- II, after the existing entry at clause (c) of serial No- I, the following entry shall be inserted; namely.

Description of Goods	Point of Tax	Rate of Tax
(d) Overseas imported liquors	M or I	12 %

By Order,

ANIL SINGH,

Additional Secretary.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 जुलाई, 2026 ई0 (आषाढ़ 13, 1948 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

May 19, 2026

No. 197/XIV/a-33/Admin.A/2021--Ms. Priyanshi Nagarkoti, the then Civil Judge (Jr. Div.), Tanakpur District Champawat presently posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned:

1.	Earned leave	For 10 days w.e.f. 24.11.2025 to 03.12.2025 with permission to prefix 23.11.2025 as Sunday holiday.
2.	Medical leave	For 19 days w.e.f. 28.01.2026 to 15.02.2026.

NOTIFICATION

May 19, 2026

No. 198/XIV-a-51/Admin.A/2020--Shri Vivek Sharma, Civil Judge (Jr. Div.), Purola, District Uttarkashi is hereby sanctioned:

1.	Earned leave	For 29 days w.e.f. 01.09.2025 to 29.09.2025 with permission to prefix 31.08.2025 as Sunday and suffix 30.09.2025 to 02.10.2025 as Dussehra holidays.
2.	Paternity Leave	For 15 days w.e.f. 31.01.2026 to 14.02.2026 with permission to suffix 15.02.2026 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

May 19, 2026

No. 199/XIV-a-48/Admin.A/2020--Shri Vishal Goyal, Civil Judge (Jr. Div.), Champawat is hereby sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 11.02.2026 to 02.03.2026 with permission to suffix 03.03.2026 & 04.03.2026 as Holi holidays and 05.03.2026 as local holiday respectively.

NOTIFICATION

May 19, 2026

No. 200/XIV/a-28/Admin.A/2022--Shri Ishank, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 03 days w.e.f. 07.10.2025 to 09.10.2025.

NOTIFICATION

May 19, 2026

No. 201/XIV-a/37/Admin.A/2012--Shri Sandip Kumar Tiwari, Chief Judicial Magistrate, Bageshwar is hereby sanctioned earned leave for 30 days w.e.f. 12.03.2026 to 10.04.2026 with permission to suffix 11.04.2026 & 12.04.2026 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

May 19, 2026

No. 202/XIV-79/Admin.A/2003--Ms. Neelam Ratra, 1st Additional District & Sessions Judge, Haridwar is hereby sanctioned child care leave for 32 days w.e.f. 15.12.2025 to 15.01.2026 with permission to prefix 14.12.2025 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

May 19, 2026

No. 203/XIV-a/44/Admin.A/2012--Shri Sachin Kumar, Additional Chief Judicial Magistrate, Kashipur District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 18.08.2025 to 30.08.2025 with permission to prefix 15.08.2025, 16.08.2025 & 17.08.2025 as Independence Day, Shri Krishna Janmashtami & Sunday holidays and suffix 31.08.2025 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

May 19, 2026

No. 204/XIV-a-34/Admin.A-2/2023--Ms. Nancy Chhabra, the then 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, presently posted as Civil Judge (Jr. Div.), Uttarkashi is hereby sanctioned child care leave for 37 days w.e.f. 05.02.2026 to 13.03.2026 with permission to suffix 14.03.2026 & 15.03.2026 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

May 19, 2026

No. 205/XIV/a-34/Admin.A/2017--Ms. Bhawna Pandey, Judicial Magistrate-1st, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 09.02.2026 to 21.02.2026 with permission to prefix 08.02.2026 & suffix 22.02.2026 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

May 19, 2026

No. 206/XIV/a-29/Admin.A-2/2023--Ms. Anjali Benjwal, 5th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned:

1.	Child care leave	<u>For 11 days w.e.f. 15.09.2025 to 25.09.2025.</u>
2.	Child care leave	<u>For 14 days w.e.f. 05.03.2026 to 18.03.2026</u> with permission to prefix 03.03.2026 & 04.03.2026 as Holi holidays and suffix 19.03.2026 as local holiday.

NOTIFICATION

May 19, 2026

No. 207/XIV-a-40/Admin.A/2016--Shri Rajnish Mohan, Civil Judge (Jr. Div.), Gangolihat, District Pithoragarh is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 16.09.2025 to 27.09.2025 with permission to prefix 14.09.2025 & 15.09.2025 as Sunday & local holiday and suffix 28.09.2025 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

May 25, 2026

No. 208/UHC/Admin.A-2/2026--Pursuant to the Rule-27 of "Uttarakhand Judicial Service Rules, 2005" the High Court of Uttarakhand is pleased to grant the benefit of Assured Career Progression (ACP) [₹ 43690-1080-49090-1230-56470 upto 31.12.2015] and [₹ 122700-180200 (J-4) w.e.f 01.01.2016] to the following Judicial Officers of Uttarakhand Higher Judicial Service/ Judicial Service, who were/are eligible for the grant of 1st ACP for the service rendered/ rendering as Civil Judge (Sr. Div.), for the specified duration/from the date, as mentioned against their names:

S.N.	Name of the officer	Present posting	Specified period /commencement date of 1 st ACP as Civil Judge (Sr. Div.)
1.	Ms. Archana Sagar	Additional Principal Judge-II, Family Court, Roorkee, District Haridwar	14.09.2015 to 07.08.2016
2.	Shri Ambika Pant	1 st Additional District & Sessions Judge, Roorkee, District Haridwar	02.04.2016 to 23.02.2018
3.	Shri Pradeep Kumar Mani	Member-Secretary, Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital	02.04.2016 to 15.04.2019
4.	Shri Anirudh Bhatt	Additional District Judge, Commercial Court, Haldwani, District Nainital	01.04.2016 to 23.02.2018
5.	Ms. Reena Negi	Registrar, State Consumer Disputes Redressal Commission, Uttarakhand, Dehradun	02.04.2016 to 25.02.2018
6.	Shri Chandramani Rai	Additional District & Sessions Judge, Fast Track Special Court (FTSC), POCSO, Haridwar	02.04.2016 to 24.02.2018
7.	Ms. Parul Gairola	Chairman, Permanent Lok Adalat, Dehradun	01.04.2016 to 27.02.2018
8.	Shri Ritesh Kumar Srivastava	2 nd Additional District & Sessions Judge, Kashipur, District Udham Singh Nagar	02.04.2016 to 27.02.2018
9.	Shri Ashutosh Kumar Mishra	2 nd Additional District & Sessions Judge, Roorkee, District Haridwar	02.04.2016 to 23.02.2018
10.	Shri Dharmendra Singh Adhikari	2 nd Additional District & Sessions Judge, Haldwani, District Nainital	24.12.2016 to 23.02.2018
11.	Shri Manish Kumar Pandey	Additional Secretary (Law)-cum-Additional L.R., Government of Uttarakhand, Dehradun	03.04.2016 to 23.02.2018
12.	Shri Shivakant Dwivedi	Additional Principal Judge, Family Court, Haridwar	31.12.2016 to 23.02.2018
13.	Shri Vivek Dwivedi	Additional Principal Judge, Family Court, Kotdwar, District Pauri Garhwal	25.12.2016 to 23.02.2018
14.	Shri Arvind Nath Tripathi	Deceased	02.04.2016 to 05.12.2018
15.	Shri Kuldeep Sharma	2 nd Additional District & Sessions Judge, Nainital	02.04.2016 to 11.12.2018
16.	Shri Rakesh Kumar Singh	3 rd Additional District &	02.04.2016 to 06.12.2018

		Sessions Judge, Haridwar	
17.	Ms. Pratibha Tiwari	Registrar (Inspection), High Court of Uttarakhand, Nainital	04.04.2016 to 04.12.2018
18.	Shri Rajoo Kumar Srivastava	1 st Additional District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar	02.04.2016 to 06.12.2018
19.	Ms. Meena Deopa	Additional Principal Judge-II, Family Court, Dehradun	24.12.2016 to 01.11.2019
20.	Ms. Rajani Shukla	Additional District & Sessions Judge, Kotdwar, District Pauri Garhwal	25.12.2016 to 02.11.2019
21.	Ms. Geeta Chauhan	Additional Principal Judge, Family Court, Kashipur, District Udham Singh Nagar	25.12.2016 to 02.11.2019
22.	Ms. Kusum	Chairman, Permanent Lok Adalat, Tehri Garhwal	07.09.2018 to 01.11.2019
23.	Shri Vivek Srivastava	3 rd Additional District & Sessions Judge, Dehradun	02.05.2019 to 08.03.2022
24.	Shri Sudhir Kumar Singh	Additional District & Sessions Judge, Laksar, District Haridwar	03.05.2019 to 08.03.2022
25.	Shri Manindra Mohan Pandey	Additional Principal Judge, Family Court, Laksar, District Haridwar	02.05.2019 to 08.03.2022
26.	Shri Uday Pratap Singh	Additional District & Sessions Judge, Ramnagar, District Nainital	02.05.2019 to 08.03.2022
27.	Ms. Savita Chamoli	F.T.C./Additional District & Sessions Judge, POCSO, Haldwani, District Nainital	03.05.2019 to 09.03.2022
28.	Shri Sudhir Tomar	Chairman, Permanent Lok Adalat, Nainital	03.05.2019 to 07.03.2022
29.	Shri Man Mohan Singh	Additional Principal Judge, Family Court, Khatima, District Udham Singh Nagar	02.05.2019 to 08.03.2022
30.	Shri Madan Ram	4 th Additional District & Sessions Judge, Dehradun	02.05.2019 to 09.03.2022
31.	Shri Dharmendra Kumar Singh	Additional Principal Judge, Family Court, Haldwani, District Nainital	02.05.2019 to 09.03.2022
32.	Shri Mukesh Chandra Arya	3 rd Additional District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar	02.05.2019 to 10.01.2023
33.	Ms. Manju Singh Munday	Additional District & Sessions Judge, Fast Track Special Court (FTSC)-POCSO Act, Dehradun	02.05.2019 to 15.01.2023
34.	Shri Ramesh Singh	Additional District & Sessions Judge, Fast Track Special Court (FTSC), POCSO, Roorkee, District Haridwar	02.05.2019 to 23.02.2024
35.	Ms. Sangeeta Rani	Additional District & Sessions Judge, Fast Track Special Court-POCSO Act (FTSC), Udham Singh Nagar	02.05.2019 to 21.02.2024
36.	Shri Arun Vohra	5 th Additional District & Sessions Judge, Haridwar	02.05.2019 to 16.07.2025
37.	Ms. Anita Gunjiyal	F.T.C./Additional District & Sessions Judge, POCSO, Rudrapur, District Udham Singh Nagar	02.05.2019 to 14.07.2025
38.	Shri Laxman Singh	F.T.C. /Additional District & Sessions Judge (POCSO), Haridwar	02.05.2019 to 15.07.2025

39.	Shri Dhirendra Bhatt	Registrar (Judicial), High Court of Uttarakhand, Nainital	16.04.2020 to 15.07.2025
40.	Shri Rahul Kumar Srivastava	Registrar (Protocol), High Court of Uttarakhand, Nainital	16.04.2020 to 14.07.2025
41.	Shri Sundeep Kumar	Chief Judicial Magistrate, Haridwar	w.e.f.16.04.2020
42.	Ms. Gunjan Singh	Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar	w.e.f.16.04.2020
43.	Shri Mohd. Yusuf	Joint Director, Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Bhowali, District Nainital	w.e.f.16.04.2020
44.	Shri Jayendra Singh	Chief Judicial Magistrate, Udham Singh Nagar	w.e.f.15.04.2020
45.	Shri Bhavdeep Ravtey	Secretary, District Legal Services Authority, Champawat	w.e.f.17.04.2020
46.	Shri Yogendra Kumar Sagar	Civil Judge (Sr. Div.), Bageshwar	w.e.f.16.04.2020
47.	Shri Hemant Singh	1 st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar	w.e.f.17.04.2020
48.	Shri Vinod Kumar Burman	Civil Judge (Sr. Div.), Rishikesh, District Dehradun	w.e.f.15.04.2020
49.	Ms. Jyotsna	Joint Registrar (Judl. & Admin), Uttarakhand Public Service Tribunal, Dehradun	w.e.f.16.04.2020
50.	Ms. Jyoti Bala	Civil Judge (Sr. Div.), Haridwar	w.e.f.16.04.2020
51.	Ms. Rinky Sahni	Chief Judicial Magistrate, Tehri Garhwal	w.e.f.08.07.2021
52.	Ms. Shivani Pasbola	Registrar, Debt Recovery Tribunal (DRT)-2, Chandigarh	w.e.f.09.07.2021
53.	Shri Ravi Prakash	Chief Judicial Magistrate, Dehradun	w.e.f.14.07.2021
54.	Shri Shahzad Ahmad Wahid	Chief Judicial Magistrate, Pauri Garhwal	w.e.f.12.07.2021
55.	Ms. Akata Mishra	Deputy General Manager (Legal), National Highways Authority of India (NHAI), Delhi, New Delhi	w.e.f.11.07.2021
56.	Shri Rajeev Dhawan	Civil Judge (Sr. Div.), Ramnagar, District Nainital	w.e.f. 09.07.2021
57.	Shri Mohammad Yaqoob	Chief Judicial Magistrate, Almora	w.e.f. 06.07.2021
58.	Ms. Chhavi Bansal	1 st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Haridwar	w.e.f.17.04.2023
59.	Ms. Ritika Semwal	Additional Chief Judicial Magistrate, N.I. Act, Special Court, Rudrapur, District Udham Singh Nagar	w.e.f.17.04.2023
60.	Ms. Vibha Yadav	2 nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Haridwar	w.e.f. 07.05.2023
61.	Shri Sanjay Singh	1 st Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun	w.e.f. 17.04.2023
62.	Shri Sayed Gufran	Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun	w.e.f. 18.04.2023
63.	Ms. Indu Sharma	2 nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar	w.e.f. 17.04.2023
64.	Shri Manoj Kumar Dwivedi	Civil Judge (Sr. Div.), Kotdwar, District Pauri Garhwal	w.e.f. 19.04.2023
65.	Ms. Niharika Mittal Gupta	Chief Judicial Magistrate, Champawat	w.e.f.17.04.2023

66.	Shri Harsh Yadav	OSD/Deputy Secretary, Uttarakhand State Legal Services Authority (SLSA), Nainital	w.e.f.18.04.2023
67.	Shri Ravi Shanker Mishra	Chief Judicial Magistrate, Nainital	w.e.f.18.04.2023
68.	Shri Sandip Kumar Tiwari	Chief Judicial Magistrate, Bageshwar	w.e.f.16.04.2023
69.	Ms. Seema Dungarakoti	Secretary, District Legal Services Authority, Dehradun	w.e.f.17.04.2023
70.	Ms. Sweta Pandey	Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Dehradun	w.e.f. 16.09.2023
71.	Shri Abhishek Kumar Srivastava	Civil Judge (Sr. Div.), Vikasnagar, District Dehradun	w.e.f. 17.09.2023
72.	Ms. Shweta Rana Chauhan	1 st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun	w.e.f. 14.09.2023
73.	Shri Avinash Kumar Srivastava	Additional Chief Judicial Magistrate, Haridwar	w.e.f. 13.09.2023
74.	Ms. Tricha Rawat	Civil Judge (Sr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar	w.e.f. 02.02.2024
75.	Shri Sachin Kumar	Additional Chief Judicial Magistrate, Kashipur, District Udham Singh Nagar	w.e.f. 13.09.2023
76.	Ms. Lalita Singh	Civil Judge (Sr. Div.), Laksar, District Haridwar	w.e.f. 15.09.2023
77.	Ms. Arti Saroha	Additional Chief Judicial Magistrate, N.I. Act, Special Court, Dehradun	w.e.f. 13.09.2023
78.	Shri Sanjeev Kumar	2 nd Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun	w.e.f. 15.09.2023
79.	Ms. Simranjit Kaur	Secretary, District Legal Services Authority, Haridwar	w.e.f. 15.09.2023
80.	Shri Sandeep Singh Bhandari	3 rd Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun	w.e.f. 15.09.2023
81.	Ms. Neha Kushwaha	Secretary, High Court Legal Services Committee, Nainital	w.e.f. 30.01.2024
82.	Ms. Anita Kumari	Secretary, District Legal Services Authority, Bageshwar	w.e.f. 30.01.2024
83.	Ms. Neha Qayyum	2 nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun	w.e.f. 30.01.2024
84.	Shri Akram Ali	3 rd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun	w.e.f. 30.01.2024
85.	Shri Ashok Kumar	Chief Judicial Magistrate, Rudraprayag	w.e.f. 30.01.2024
86.	Ms. Payal Singh	Secretary, District Legal Services Authority, Rudraprayag	w.e.f. 31.01.2024
87.	Ms. Nazish Kaleem	Secretary, District Legal Services Authority, Pauri Garhwal	w.e.f. 29.01.2024
88.	Ms. Rashmi Goyal	Civil Judge (Sr. Div.), Champawat	w.e.f. 30.01.2024
89.	Shri Akhilesh Kumar Pandey	4 th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun	w.e.f. 29.01.2024
90.	Shri Imran Mohammad Khan	Additional Chief Judicial Magistrate, (Railways), Haldwani, District Nainital	w.e.f. 29.01.2024
91.	Shri Sachin Kumar Pathak	Chief Judicial Magistrate, Chamoli	w.e.f. 31.01.2024
92.	Ms. Durga	3 rd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Haridwar	w.e.f. 16.04.2024

93.	Shri Puneet Kumar	Secretary, District Legal Services Authority, Chamoli	w.e.f. 31.01.2024
94.	Shri Rajesh Kumar	Joint Secretary (Law)-cum-Joint L.R., Government of Uttarakhand, Dehradun	w.e.f. 29.01.2024
95.	Ms. Afiya Mateen	Civil Judge (Sr. Div.), Almora	w.e.f. 16.06.2025
96.	Shri Amit Kumar	Civil Judge (Sr. Div.), Rudraprayag	w.e.f. 16.06.2025
97.	Shri Alok Ram Tripathi	Civil Judge (Sr. Div.), Nainital	w.e.f. 17.06.2025
98.	Shri Mithilesh Pandey	Civil Judge (Sr. Div.), Tehri Garhwal	w.e.f. 15.06.2025
99.	Shri Ravindra Dev Mishra	4 th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar	w.e.f. 17.06.2025
100.	Shri Ravi Ranjan	Additional Chief Judicial Magistrate, Nainital	w.e.f. 17.06.2025
101.	Shri Kapil Kumar Tyagi	Additional Chief Judicial Magistrate, Roorkee, District Haridwar	w.e.f. 15.06.2025
102.	Shri Abhay Singh	Chief Judicial Magistrate, Uttarkashi	w.e.f. 16.06.2025
103.	Ms. Mamta Pant	Secretary, District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar	w.e.f. 17.06.2025
104.	Ms. Anamika Singh	Secretary, District Legal Services Authority, Almora	w.e.f. 18.06.2025

2. Arrears of deceased officer [mentioned at serial No. 14 of above table] will be paid from Haridwar judgeship to his nominee or legal heir, as the case may be, as the officer was serving that judgeship till his death.

By Order of the Court,

Sd/-

YOGESH KUMAR GUPTA,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

May 29, 2026

No. 210/UHC/Admin.A-2/2026--In supersession of the earlier Notification No. 140/UHC/Admin.A-2/2026 dated 23.04.2026, the District & Sessions Judge, Almora is hereby directed to hold Camp Court at Ranikhet, District Almora, on the last working day of every week

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

YOGESH KUMAR GUPTA,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITALNOTIFICATION*May 29, 2026*

No. 211/XIV-a-44/Admin.A/2015--Ms. Anamika Singh, the then 7th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun, presently posted as Secretary, District Legal Services Authority, Almora is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 30.01.2026 to 13.02.2026 with permission to suffix 14.02.2026 & 15.02.2026 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION*May 29, 2026*

No. 212/XIV-a-40/Admin.A/2015--Shri Kapil Kumar Tyagi, Additional Chief Judicial Magistrate, Roorkee, District Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 25 days w.e.f. 06.04.2026 to 25.04.2026 with permission to prefix 05.04.2026 and suffix 26.04.2026 as Sunday holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION*May 29, 2026*

No. 213/XIV-20/Admin.A/2008--Ms. Meena Deopa, the then 2nd Additional District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar, presently posted as Additional Principal Judge-II, Family Court, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 02.02.2026 to 13.02.2026 with permission to prefix 01.02.2026 as Sunday holiday and suffix 14.02.2026 & 15.02.2026 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION*May 29, 2026*

No. 214/XIV-a/34/Admin.A/2013--Ms. Rashmi Goyal, Civil Judge (Sr. Div.), Champawat is hereby sanctioned maternity leave for 180 days w.e.f. 31.10.2025 to 28.04.2026.

NOTIFICATION*May 29, 2026*

No. 215/XIV-a-41/Admin.A/2013--Shri Manoj Garbyal, 1st Additional District & Sessions Judge, Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 20.04.2026 to 30.04.2026 with permission to prefix 19.04.2026 as Sunday holiday & suffix 01.05.2026 as Buddha Purnima holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 जुलाई, 2026 ई0 (आषाढ़ 13, 1948 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
Additional Director

सूचना

मेरे SBICAP SECURITIES LTD-CLIENT ID-1001328360 में त्रुटिवश मेरा नाम SHISHUPAL SINGH MAKHANSINGH KUSHWAHA गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम SHISHUPAL SINGH है। जो मेरे आधार कार्ड नं. 459016948370 व पेन कार्ड नं0 AOVPK1662B में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे SHISHUPAL SINGH S/o MAKHAN SINGH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

SHISHUPAL SINGH S/o MAKHAN SINGH
निवासी—म0नं0 136 लेन नं0 12, नियर वेलमेड
हॉस्पिटल द्वारिकापुरी टर्नर रोड देहरादून उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं0 729397317454 व स्थाई निवास सं0 प्रमाण-पत्र पंजी UK24ES0100245439 में त्रुटिवश उसका नाम सौरभ गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम शौर्य नौटियाल (SHAURYA NAUTIYAL) है। जो पुत्र के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25148789 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को शौर्य नौटियाल (SHAURYA NAUTIYAL) S/O MUKESH CHANDRA के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

MUKESH CHANDRA

निवासी-पुजारगांव टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड।

सूचना

मैं, रविन्द्र सिंह (RAVENDRA SINGH) पुत्र मोहन सिंह निवासी-डांग नई कालोनी, श्रीनगर गढ़वाल जिला-पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड। मेरी पुत्री के आधारकार्ड संख्या-3897-4259-8322 में मेरी पुत्री का नाम-अग्रिणी बिष्ट (AGARINI BISHT) गलत दर्ज है, जबकि मेरी पुत्री के जन्म-प्रमाण पत्र में पुत्री का सही नाम-अग्रणी संख्या-B202505900290000054 (AGRANI) है, भविष्य में मेरी पुत्री को अग्रणी (AGRANI) पुत्री रविन्द्र सिंह के नाम से जाना-पहचाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

रविन्द्र सिंह (RAVENDRA SINGH)

पुत्र मोहन सिंह

निवासी-डांग नई कालोनी, श्रीनगर गढ़वाल

जिला-पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड।

सूचना

MY nickname Shivam is mentioned wrongly in my Aadhaar Card No. 6579 7048 3368 whereas my actual name is Ashish Daniel as per my High School (Roll No. 23024861) & Intermediate (Roll No. 25322225). In future I shall be known as Ashish Daniel S/o Daniel Nasrani R/o H. No. 08/125 Dhakpatti, Opp. M.D.D.A Park Rajpur, Dehradun, Uttarakhand.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Ashish Daniel S/o Daniel Nasrani

R/o H.No. 08/125 Dhakpatti, Opp. M.D.D.A Park

Rajpur, Dehradun, Uttarakhand.

सूचना

मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं. 5533 0681 7250 में त्रुटिवश उसका नाम तन्सूमन (TANSUMAN) गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम व्योम (VYOM) हैं। जो पुत्र के जन्म प्रमाण—पत्र पंजी सं० B2026059006900003681 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को व्योम (VYOM) पुत्र श्री अशोक के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अशोक

निवासी रंग महल मानक चौक मंगलौर तोवन
जिला—हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

MAAHIR M Narula, child of Neeraj Narula, age 25, resident of 412, Siddharth Race Course, Race Course, Dehradun, Dehradun Uttarakhand-248001 declare that I have changed my name from Maahir M Narula to Mahira Narula, Henceforth, I shall be known as Mahira Narula for all purposes including legal, official, and personal records.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

MAAHIR M Narula, child of Neeraj Narula,
resident of 412, Siddharth Race Course, Race
Course, Dehradun, Dehradun Uttarakhand-248001

सूचना

मेरे पुत्र के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25131683 में त्रुटिवश उसका नाम MOHD JUNEED गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम मो० जुनैद (MOHD JUNAID) है। जो पुत्र के आधार कार्ड नं. 7714 1216 6610 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को मो० जुनैद (MOHD JUNAID) S/o FAMIDA के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

FAMIDA W/O MOHD WASID
निवासी 17 पठानपुरा नियर ओल्ड मस्जिद रुड़की
जिला—हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 918652810620 में त्रुटिवश मेरा नाम फूलकली (FOOLKALI) गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम चन्द्रकली (CHANDRAKALI) है। जोकि मेरे स्व० पति राम लखन के पी०पी०ओ संख्या UK/DDN/00021584 एवं मेरे बी०एच०ई०एल० चिकित्सा कार्ड सं. 2267691 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे चन्द्रकली (CHANDRAKALI) पत्नी स्व० रामलखन के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

चन्द्रकली पत्नी स्व० रामलखन
निवासी—गली नं०—ए/7, सुभाष नगर,
ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड-249407

सूचना

मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं० 6059 0106 3539 में त्रुटिवश उसका नाम गौरव (Gaurab) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम गौरव (Gaurav) है। जो पुत्र के हाईस्कूल अनुक्रमांक अनुक्रम 24026818 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को गौरव (Gaurav) पुत्र श्री दिनेश के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

दिनेश
निवासी नौका मोथरोवाला पोस्ट देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं० 492553490651 में त्रुटिवश उसका नाम लाईबा अहमद (Layba Ahamad) गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम लाईका नूर (Laiqa Noor) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं० B202405027030000183 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को लाईका नूर (Laiqa Noor) पुत्री रियाज अहमद के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

रियाज अहमद
निवासी—वॉर्ड नं०—2, सिविल कोर्ट के पास, प्रगति
विहार, ढकरानी देहात, ढकरानी, देहरादून उत्तराखण्ड

सूचना

My daughter's name has been mistakenly recorded in my Army service documents as SUDHA whereas correct name is SUMAN NEGI] It should be read] record for all future purposes-

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Tajbar Singh

Army No- 4068238X Rank Hav (Retd.)

Son of Late Shri Pratap Singh

Resident Of Village and PO Fatehpur Tanda

Tehsil- Doiwala, Dehradun,

State- Uttarakhand-248140

सूचना

मेरे पुत्र KOVIDH AGARWAL के वर्ष 2023 हाईस्कूल अनुक्रमांक 25111841 एवं वर्ष 2025 इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक 25613650 में त्रुटिवश माता का नाम SHWETA AGARWAL एवं पिता का नाम SHOBHIT AGARWAL गलत दर्ज हो गया है जबकि माता का वास्तविक नाम SHWETA एवं पिता का वास्तविक नाम SHOBHIT KUMAR है। जोकि पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या 20071112087 एवं पिता के आधार कार्ड नं. 850308079742 एवं माता के आधार कार्ड नं. 772333333086 में भी दर्ज है। भविष्य में हमें सही नामों से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

SHOBHIT KUMAR S/o CHANDRA PRAKASH

निवासी—हाउस नं0—1, जी.एम.एस. रोड़ मिलन विहार

देहरादून, उत्तराखण्ड—248001.

सूचना

मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं. 5285 8035 1820 में त्रुटिवश उसका नाम आवेश (AAVESH) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम मौ0 कैफ (MOHD KAIF) हैं। जो पुत्र के जन्म प्रमाण—पत्र पंजी सं0 164 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को मौ0 कैफ (MOHD KAIF) पुत्र नासिर के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

नासिर

निवासी—326 रहमतपुर पिरन कलियर

जिला—हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री आकृति के कक्षा 10 की अंकतालिका अनुक्रमांक 25121056 में माता का नाम त्रुटिवश SHEEMA गलत दर्ज हो गया है। जबकी माता का सही नाम SHEEMA DEVI है। जो माता के आधार कार्ड नं. 4032 5881 9751 व पेन कार्ड नं. EIJPD4881H में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को आकृति पुत्री सीमा देवी (SHEEMA DEVI) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

शैलेश पुत्र सुन्दर लाल
निवासी—खदरी खड़कमाफ तहसील ऋषिकेश
देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपने नाबालिक पुत्र का नाम एकांश (EKAANSH) से बदलकर एकांश चौधरी (EKAANSH CHOUDHARY) कर लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को एकांश चौधरी (EKAANSH CHOUDHARY) पुत्र श्री राहुल कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

राहुल कुमार पुत्र श्री राजेश कुमार
निवासी—नारसन कलां, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड 605820412124 में उसका नाम त्रुटिवश अब्बी Abbey गलत दर्ज हो गया है जबकि उसका सही नाम GURSHEEN RATHOUR गुरशीन राठौर उसके जन्म प्रमाण पत्र सं0 B202505076880000103 में भी दर्ज है भविष्य में उसे GURSHEEN RATHOUR D/O ANUJ RATHOUR के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

ANUJ RATHOUR
निवासी दौलतपुर उर्फ बुधवाशाहीद भगवानपुर
हरिद्वार उत्तराखण्ड 247662

सूचना

मेरा नाबालिग पुत्र SHIVAMBADOLA का नाम भूलवश आधार नं0 926320312153 में JAIDEEP BADOLA दर्ज है। जोकि गलत है, मेरे उक्त पुत्र का वास्तविक नाम SHIVAM BADOLA है जो पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण नं0 R-09-2018 में दर्ज है व सही है। भविष्य में मेरे पुत्र को SHIVAM BADOLA पुत्र हिमांशु बडोला के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

हिमांशु बडोला

निवासी-बडोला, पौड़ी गढ़वाल, एकेश्वर, उत्तराखण्ड,
पिन कोड-246131.

सूचना

मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं. 324000775325 में त्रुटिवश उसका नाम बेबी टू ऑफ अनिल (BABYTWO OF ANIL) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम अक्षित सैनी (AKSHIT SAINI) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं0 B-2017:6-90026-002360 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को अक्षित सैनी (AKSHIT SAINI) पुत्र श्री अनिल कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अनिल कुमार

निवासी-वार्ड नं0 40, मतलबपुर, रुड़की,
हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

शादी से पूर्व मेरा नाम Geeta Panday D/o Jagdish Chandra Panday था जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नम्बर 18112402 में भी दर्ज है। लेकिन शादी के उपरान्त मैंने अपना नाम Geeta Panday से बदलकर Geeta Panday Sharma कर लिया है, जो मेरे विवाह प्रमाणपत्र संख्या MRUKUCC2551000008282 में भी दर्ज है। लेकिन मेरे आधार कार्ड नम्बर 3841 2967 2266 में त्रुटिवश मेरा इंग्लिश में नाम Geeta Pandey Sharma दर्ज हो गया है। जबकि मेरा इंग्लिश में सही नाम Geeta Panday Sharma है। भविष्य में मुझे Geeta Panday Sharma W/o Mohan Chandra के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताये मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

गीता पाण्डेय शर्मा पत्नी मोहन चन्द्र निवासी
मायारामपुर दोहनिया नैनीताल, उत्तराखण्ड।
आधार कार्ड नं0 3841 2967 2266

सूचना

मेरे नाबालिक पुत्र के आधारकार्ड न. 6991 2406 8121 में त्रुटिवश उसका नाम Aum Kushwah व पिता का नाम Praveen गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का सही नाम ओम कुशवाह Om Khushwah व पिता का सही नाम प्रवीन कुमार कुशवाह (Praveen Kumar Kushawaha) है। जो पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र पंजी सं. B202505901700012218 व पिता के आधारकार्ड सं. 9624 0435 0492 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को ओम कुशवाह Om Khushwah पुत्र श्री प्रवीन कुमार कुशवाह (Praveen Kumar Kushawaha) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

प्रवीन कुमार कुशवाह (Praveen Kumar Kushawaha)
निवासी 01, सेवला खुर्द मझरा माजरा देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरा विवाह पूर्व आधार कार्ड सं0-505792357503 में नाम कविता नेगी दर्ज था। विवाह पश्चात मेरा नाम कविता देवी हो गया है। जोकि मतदाता पहचान पत्र सं0-WP00936419 में दर्ज है। भविष्य में मुझे कविता देवी पत्नी मुकेश सिंह नाम से जाना-पहचाना जाय।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

कविता देवी पत्नी मुकेश सिंह
निवासी-मटई, मताई, चमोली उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे Reliance Industries Limited EQ ISIN No. INE002A01018 And Reliance Power Limited EQ ISIN No. INE614G01033 में मेरा नाम Kamleshwar Nautiyal दर्ज है। जबकि मेरे आधार कार्ड नं0 9070 5167 7865 व पेन कार्ड नं0 ADMPN3492N में मेरा नाम Kamleshwar Prasad दर्ज है। Kamleshwar Nautiyal उर्फ Kamleshwar Prasad ये दोनों नाम मेरे ही हैं।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Kamleshwar Prasad
निवासी- 116 विवेकानन्द ग्राम फेस 2 स्टीट-4
लेन नं0-2 ए देहरादून उत्तराखण्ड पिन कोड 248005

सूचना

मैं रजत शर्मा (Rajat Sharma) मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 5342330 वर्ष 2010, व इंटरमीडिएट अनुक्रमांक 5741316 वर्ष 2012 में मेरे पिता का नाम Vinay Kumar Sharma दर्ज है जबकि मेरे आधार कार्ड नं. 5183 7229 0976 व पेन कार्ड नं DONPS9839P एवं बी.टेक. रोल नंबर 120070101081 व मेरे Disability Certificate No UK503091994 0003878 में मेरे पिता का नाम Vinay Sharma दर्ज है तथा मेरे स्थाई निवास प्रमाण पत्र पंजी. संख्या 6525 में मेरे पिता का नाम Vinay Kumar दर्ज है उक्त तीनों नाम मेरे पिता के ही हैं जो कि उपरोक्त प्रमाण पत्रों की सीमा तक की वैध माना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

रजत शर्मा (Rajat Sharma) पुत्र विनय कुमार
निवासी म. नं. 352/3 पीपल वाली गली सुभाष नगर
सफीपुर रुड़की जिला हरिद्वार।

सूचना

मैं मुकेश कुमार पुत्र संजय सिंह मैंने सन्यास धारण करने के पश्चात् अपना नाम मुकेश कुमार से बदलकर मुक्तेश्वर नंद (MUKTEHSWARA NAND) शिष्य स्वामी राजेंद्रा नन्द रख लिया है। जो मेरे पहचान-पत्र स. IZU1361823 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे मुक्तेश्वर नंद (MUKTEHSWARA NAND) शिष्य स्वामी राजेंद्रा नन्द के नाम से जाना व पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मुक्तेश्वर नंद (MUKTEHSWARA NAND)
शिष्य स्वामी राजेंद्रा नन्द
निवासी विशनोई आश्रम भीमगोड़ा हरिद्वार उत्तराखण्ड

सूचना

मैंने व्यक्तिगत कारणों से अपना नाम सुहानी (SUHANI) से बदलकर सुहानी चौधरी (SUHANICHOUDHARY) कर लिया है। भविष्य में मुझे सुहानी चौधरी (SUHANICHOUDHARY) पुत्री राहुल कुमार निवासी ग्राम नारसन त. रुड़की जिला हरिद्वार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सुहानी चौधरी (SUHANICHOUDHARY)
पुत्री राहुल कुमार
निवासी ग्राम नारसन, त. रुड़की, जिला— हरिद्वार

सूचना

मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नं० 3385 2791 6139 में त्रुटिवश उसका घरेलु नाम राधिका (Radhika) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम आराध्या (Aradhya) है। जो पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र पंजी सं० B-2020:5-90028-001382 मेरी व स्थाई निवास प्रमाण-पत्र पंजी सं० UK25ES0100535584 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को आराध्या (Aradhya) पुत्री श्री गजेन्द्र प्रसाद के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

गजेन्द्र प्रसाद

निवासी-म०नं० 11 पाटा वल्ला पोस्ट पौड़ी खाल
जाखणी धार टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 4194 3983 1316 में त्रुटिवश मेरा नाम अनीसा गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम सलमा (SALMA) है। जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 1503087 एव पेन कार्ड नं० DKRPS5908F में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे सलमा (SALMA) पत्नी मौ० सकिर के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सलमा (SALMA) पत्नी मौ० सकिर

निवासी-सपना टाकीज इस्लाम नगर महिगरान
रुड़की उत्तराखण्ड।

सूचना

मैं संजय घोष पुत्र श्री प्रफुल्ल कुमार घोष मैंने संन्यास धारण करने के पश्चात अपना नाम संजय घोष से बदलकर स्वामी हिरण्यगर्भानन्द पुरी शिष्य एच.एच.स्वामी गहनानन्द पुरी रख लिया है। भविष्य में मुझे स्वामी हिरण्यगर्भानन्द पुरी शिष्य एच.एच.स्वामी गहनानन्द पुरी के नाम से जाना व पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

स्वामी हिरण्यगर्भानन्द पुरी शिष्य एच.एच.स्वामी गहनानन्द पुरी
निवासी-ओंकारानन्दा आश्रम हिमालयस सरस्वति मार्ग मुनिकीरेती
शिवानन्द नगर टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड।

सूचना

मैं कु0 रेणुका रानी पुत्री श्री सैम्युअल लूका नि. सैनीटोरियम सिरौडी नैनीताल द्वारा अपनी बहन श्रीमती अनिता प्रसाद पत्नी श्री समरदीप प्रसाद नि. म0 नं0 262, देवनगर (मिशन कम्पाउन्ड) मेरठ शहर जिला-मेरठ उ0प्र0 के पुत्र श्री रुबेन एल प्रसाद को आपसी रजामन्दी से दि 23-09-2017 को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर गोदनामें में सर्व सहमति से गोद ले लिया गया है भविष्य में श्री रुबेन एल प्रसाद को कु0 रेणुका रानी के पुत्र के रूप में जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

कु.0 रेणुका रानी पुत्री श्री सैम्युअल लूका
नि. सैनीटोनियम सिरौडी नैनीताल उत्तराखंड

सूचना

मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं0-932310220639 एवं जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण संख्या-B-2019:5-90028-000319 में उसका नाम रिहान कनोजीया (RIHAAN KANOJIA) दर्ज है। लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम रिहान कनोजीया (RIHAAN KANOJIA) से बदलकर अक्षय कनौजिया (AKSHAY KANOJIA) रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को अक्षय कनौजिया (AKSHAY KANOJIA) पुत्र श्री आशु के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

आशु
निवासी-12, दुधुपानी, अमित ग्राम
गुमानीवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड-249204

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल

सम्पत्ति/भवन कर उपविधि-2025

नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर सम्पत्ति/भवन कर उपविधि

19 जनवरी, 2026 ई0

पत्रांक-1012/न0पा0प0/उपविधि-प्रकाशन/2025-2026-

नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल के सीमान्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 298 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका अधिनियम -1916 की धारा 128 के अनुसार उत्तराखण्ड शासन विद्यायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या-127/XXXVII/(3)/2021/27(1)/2021 देहरादून दिनांक 12 अप्रैल, 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002)) में उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष में अग्रेतर संशोधन के द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002)) जिसे इसके आगे मूल अधिनियम कहा गया है, कि धारा-140 निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की गयी है, के अन्तर्गत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर भवन/सम्पत्ति कर आरोपित करने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल द्वारा "सम्पत्ति/भवन कर उपविधि-2025" बनाई गयी है, जो नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301 (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला है, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः सामाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल को प्रेषित की जा सकेगी। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्तियाँ एवं सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

सम्पत्ति/भवन कर उपविधि, 2025

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ-

- (क) यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल सम्पत्ति/भवनकर उपविधि, 2025 कहलायेगी।
- (ख) यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल की सीमा में प्रवृत्त होगी।
- (ग) यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ- किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतीकूल न होने पर इस उपविधि में-

- (क) "नगर पालिका परिषद्" से तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल से है।
- (ख) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल से है।
- (ग) "अध्यक्ष" से तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल के निर्वाचित अध्यक्ष से है।

- (घ) "प्रशासक" से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन द्वारा नियुक्त प्रशासक नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढवाल से है।
- (ङ) "बोर्ड" से तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढवाल के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्य से है।
- (च) "अधिनियम" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) से है।
- (छ) "वार्षिक मूल्यांकन" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-140 व धारा-141 के अन्तर्गत वार्षिक मूल्य से है।
- (ज) "सम्पत्ति/भवन कर" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-128 के अन्तर्गत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर से है।
- (झ) "समिति" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-104 के अन्तर्गत गठित समिति से है।
- (प) "भवन एवं भूमि" का तात्पर्य नगर पालिका की सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि से है।
- (फ) "स्वामी" का तात्पर्य भवन एवं भूमि के स्वामी से है।
- (ब) "अध्यासी" का तात्पर्य नगर पालिका सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि से है।
- (ख) "आच्छादित क्षेत्रफल" का तात्पर्य भवन/भूमि द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल से है, व बहुमंजिला भवन की दशा में भवन के प्रत्येक तल द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल को जोड़ने पर प्राप्त कुल क्षेत्रफल से है।

3. नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर की सीमा के अन्दर स्थित सभी भवनों पर सम्पत्ति कर का वार्षिक मूल्यांकन भवन के आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर सर्किल रेट जो कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजनार्थ कलैक्टर द्वारा निर्धारित प्रचलन में हो, के अनुसार नियत किया जायेगा, परंतु इसमें निम्नलिखित अपवाद होंगे:-

- 1- मन्दिर, गुरुद्वारा, मस्जिद अथवा दूसरे धार्मिक संस्थाएं जो सार्वजनिक तथा रजिस्टर्ड ट्रस्ट या संस्था के अधीन हो, परन्तु जो स्थान अथवा स्थानों के भाग रहने अथवा किराये पर या अन्य प्रकार से आय अर्जित की जाती है, तो उन पर कर की छूट का नियम लागू नहीं होंगे।
- 2- अनाथालय, स्कूल, छात्रावास, चिकित्सालय, धर्मशालाएँ तथा इस प्रकार से अन्य भवन तथा भूमि जो इस प्रकार की दान की संस्थाओं की सम्पत्तियों और उन्हीं संस्था द्वारा ऐसे कार्य करती हो।

- 3- ऐसी सभी भूमि व इमारतें जो सरकारी सम्पत्ति हैं और किराये के लिये नहीं हैं अर्थात् जिन्हें किराये पर साधारणतया नहीं दिया जा सकता हो।
4. भवनकर /सम्पत्ति कर का निर्धारण - सम्पत्ति कर का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा-

सम्पत्ति कर = वार्षिक मूल्यांकन × सम्पत्ति कर दर/गुणक (0.01 प्रतिशत से 1 प्रतिशत)

जहाँ वार्षिक मूल्यांकन = {भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (कारपेट क्षेत्रफल) + खाली भूमि का क्षेत्रफल} × सर्किल रेट

1- साधारण हाउस टैक्स-0.04 प्रतिशत

2- होम स्टे/छोटे होटल/रेस्टोरेन्ट-0.1 प्रतिशत

3- वाणिज्यिक (3 स्टार होटल, रेस्टोरेन्ट, सोसाईटी, वेलनेस सेन्टर एवं अन्य)-0.50 प्रतिशत

4- वाणिज्यिक (5 स्टार होटल, रेस्टोरेन्ट, सोसाईटी वेलनेस सेन्टर एवं अन्य)-0.65 प्रतिशत

वार्षिक मूल्यांकन हेतु आच्छादित क्षेत्रफल की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगी-

(क) कक्ष-आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप।

(ख) आच्छादित बरामदा- आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप।

(ग) बालकनी, गलियारा, रसोईघर और भण्डार गृह- आन्तरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप

(घ) गैराज-आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप।

(ङ) स्नानागार, शौचालय, द्वारमण्डक और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा।

(च) वाणिज्यिक आवसीय, वाणिज्यिक आनावासीय व गैर आवासीय भवनों एवं भारत एवं राज्य सरकार वाणिज्यिक उपक्रम की भवन एवं भूमि अथवा सम्पत्ति का वार्षिक मूल्यांकन हेतु आच्छादित क्षेत्रफल की गणना भवन या भूमि के कुल क्षेत्रफल के रूप में की जा सकेगी।

सम्पत्ति कर = वार्षिक मूल्यांकन × सम्पत्ति कर दर/गुणक (0.01 प्रतिशत से 1 प्रतिशत)

जहाँ वार्षिक मूल्यांकन = {भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (कारपेट क्षेत्रफल) + खाली भूमि का क्षेत्रफल} × वाणिज्यिक सर्किल रेट

5. कर निर्धारण के प्रयोजन -

(क) सम्पत्ति कर की दरों का निर्धारण प्रत्येक पांच वर्ष में 01 बार किया जायेगा। पांच वर्षों के बीच यदि किसी वर्ष सम्पत्ति के क्षेत्रफल/प्रयोजन में परिवर्तन होता है तो उस सम्पत्ति का पुनः मूल्यांकन किया जायेगा।

(ख) सम्पत्ति कर का निर्धारण फील्ड सर्वे अथवा स्व-मूल्यांकन प्रपत्र के माध्यम से किया जायेगा। यदि किसी भवन कर दाता/अध्यासी द्वारा सर्वे में गलत सूचना दी जाती है तो

शास्ति के रूप में अधिकतम 01 वर्ष के वास्तविक सम्पत्तिकर के समान धनराशि आरोपित की जायेगी।

- (ग) अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी द्वारा कर निर्धारण सूची को अंतिम रूप से अधिप्रमाणित किया जायेगा।
- (घ) सम्पत्ति कर निर्धारण के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई एवं निस्तारण बोर्ड अथवा समिति (अधिशाली अधिकारी तथा अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी सम्मिलित) के स्तर से किया जायेगा।
- (ङ) सम्पत्ति कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार लिया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च होगी। 31 मार्च के पश्चात अवशेष सम्पत्ति कर में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार वसूल किया जायेगा।

6. कर में छूट के प्रावधान -

- (क) नगर पालिका अधिनियम, 1916(यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 157 के अधीन आरोपित कर या कर के किसी अंश का भुगतान किये जाने से अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/बोर्ड द्वारा पुष्ट किये गये विशेष संकल्प द्वारा या निर्धनता के आधार पर, जो उनकी राय में निर्धनता के कारण भुगतान करने में असमर्थ हो, एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए छूट दे सकता है और ऐसी छूट जितनी बार वह आवश्यक समझे पुनः दे सकता है।
- (ख) बोर्ड/अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा वर्ष की किसी नियत तिथि से पूर्व कर जमा करने पर उस वर्ष सम्पत्ति कर में छूट का प्रावधान किया जा सकेगा।

7. कर निर्धारण की सूचियों का प्रकाशन - भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-141 के अधीन तैयार की गयी सूचियों का प्रकाशन जनसामान्य के अवलोकनार्थ एवं निरीक्षण के लिए कार्यालय अधिशाली अधिकारी नगर पालिका परिषद् द्वारा किया जायेगा तथा समाचार पत्र में इस आशय की सूचना प्रकाशित करते हुए अपील करनी होगी कि पंचवर्षीय गृहकर का निर्धारण किया जा चुका है, जिस किसी व्यक्ति अथवा भवन स्वामी या अध्यासी को निर्धारण सूची में आपत्ति दर्ज करनी है, वह 15 दिन के अन्दर आपत्ति प्रस्तुत करेगा एवं कर निर्धारण सूचियों में प्राप्त आपत्तियों को मोहल्ले/वार्ड वार क्रम संख्या देते हुए आपत्ति एवं निस्तारण पंजिका में अंकित किया जायेगा।

8. आपत्तियों का निस्तारण - भूमि एवं भवन का वार्षिक मूल्यांकन अथवा कर निर्धारण, प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई एवं निस्तारण नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-104 के अन्तर्गत गठित समिति अथवा गठित न होने के फलस्वरूप अधिशाली अधिकारी द्वारा निम्न प्रकार से किया जायेगा-

- (क) प्राप्त आपतियों की सुनवाई हेतु तिथि एवं समय नियत करते हुए आपत्तिकर्ता को लिखित सूचना प्रेषित करनी होगी।
- (ख) आपतियों के निस्तारण की स्थिति एवं निर्णय सम्बन्धित पत्रावली एवं आपति निस्तारण पंजिका में जस्टिफिकेशन के साथ दर्ज करनी होगी।

9. कर निर्धारण सूचियों का अभिप्रमाणीकरण और अभिरक्षा -

- (क) अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर (उत्तराखण्ड) क्षेत्र या उसके किसी भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित करेगा।
- (ख) इस प्रकार से अभिप्रमाणित सूची को नगर पालिका परिषद् कार्यालय में जमा किया जायेगा।
- (ग) सम्पूर्ण नगर क्षेत्र की सूची जमा करने के उपरान्त ही निरीक्षण हेतु खुले होने की सार्वजनिक सूचना द्वारा घोषणा की जायेगी।
- (घ) कर निर्धारण सूचियों में उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही होने के उपरान्त सम्पत्ति/भवन कर की मांग एवं वसूली पंजिका में अन्तिम रूप से सूची दर्ज करते हुए नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-166 के अन्तर्गत दावों की निस्तारण हेतु अग्रेतर कार्यवाही शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार करनी होगी।

10. ऐसे भवन जो किराये पर दिये गये हों (आवास अथवा दुकानार्थ) उनका वार्षिक मूल्यांकन शहर की प्रचलित बाजार दर अथवा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजनार्थ क्लैक्टर द्वारा निर्धारित प्रचलित सर्किल रेट, जो भी अधिकतम हो, के अनुसार मासिक किराये के 12 गुना पर निर्धारित किया जायेगा।

11. शासकीय भूमि एवं अन्य प्रकार की भूमि पर निर्मित भवनों पर लगे भवन कर को मालिकाना हक का आधार नहीं माना जायेगा एवं व किसी भी रूप में भवनकर रसीद मालिकाना हक के अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं होगा।

12. कर निर्धारण सूची में नामांतरण (म्यूटेशन) -

- (क) सम्पत्ति कर के निर्धारण सूची में परिवर्तन के लिये नामान्तरण शुल्क का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा-

क्र०सं०	नामान्तरण का आधार	शुल्क (रुपयों में)
1	उत्तराधिकार/विरासतन/वसीयत	1500
2	परिवारिक रजिस्टर्ड दाननामा	1500

3	पंजीकरण विलेख/रजिस्ट्री बैनामा/गैर पारिवारिक दाननामा के आधार पर	विक्रय विलेख पर अंकित कुल मूल्य का 2.5 प्रतिशत
---	---	--

- (ख) कर निर्धारण सूची में नामांतरण आदेश जारी करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष में निहित होगा।
- (ग) हर ऐसा व्यक्ति जिसको जायदाद हस्तान्तरित की गयी हो, अधिशासी अधिकारी के मांगने पर दस्तावेज (अगर लिखी गयी है) या उसकी एक प्रतिलिपि जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट-1877 ई0 के अनुसार ली गयी हो, पेश करेगा।
- (घ) नामांतरण की प्रक्रिया हेतु उत्तरजीवी प्रमाण पत्र/पंजीकृत विक्रय पत्र/पंजीकृत इकरारनामा/पंजीकृत दानपत्र/पंजीकृत वसीयतनामा/बंटवारानामा या अन्य प्रकार से अधिकृत काबिज होने का लिखित साक्ष्य, अन्य हितधारकों का अनापत्ति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, शपथ पत्र, आवेदन पत्र के साथ जमा करने होंगे। अभिलेखों से संतुष्ट होने के उपरान्त नगर पालिका द्वारा प्रस्तावित नामान्तरण की सूचना एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करायी जायेगी, जिसका व्यय आवेदक को अदा करना होगा।
- (ङ) नामान्तरण की सार्वजनिक सूचना संबंधित संपत्ति अथवा ऐसे स्थान जो नगर पालिका को उचित प्रतीत हो, पर चस्पा की जायेगी।
- (च) सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में कर निर्धारण सूची में आवेदक के नामांतरण को पूर्ण माना जाएगा।

शास्ति

नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यथाप्रवत उत्तराखण्ड) की धारा 299(1) के अधीन यह निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त उपविधि के उल्लंघन का अर्थदण्ड निर्धारित धनराशि का 5 से 25 प्रतिशत तक हो सकता है, उल्लंघन निरंतर जारी रहने पर प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक से दण्ड में 500 रुपये प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त जुर्माना नियत किया जायेगा।

एलम सिंह रावत,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
नरेन्द्र नगर, टि0ग0।

आशीष चन्द्र धिल्लियाल,
प्रशासक,
नगर पालिका परिषद्,
नरेन्द्र नगर, टि0ग0।